ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 11, Issue 5, September - October 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.583

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

संवैधानिक संशोधनों के बाद स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी – अवसर और अवरोध

सुनीता महला
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु (राजस्थान)

सारांश

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिला। इन संशोधनों ने महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के द्वार तो खोले हैं, लेकिन इसके साथ ही कई प्रकार की चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं। इस शोध में महिलाओं की स्थानीय शासन में बढ़ती भूमिका के साथ–साथ उनके सामने आने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवरोधों की पहचान की गई है। अध्ययन में यह भी चर्चा की गई है कि कैसे पितृसत्तात्मक समाज और संसाधनों की कमी जैसे कारक महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही, इन अवरोधों को पार करने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की संभावनाओं पर भी विचार किया गया है। इस शोध आलेख का उद्देश्य संवैधानिक संशोधनों के बाद स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी के अवसरों और अवरोधों का विश्लेषण करना है। संवैधानिक संशोधनों के बाद महिलाओं के लिए स्थानीय शासन में नए अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समाज और शासन के स्तर पर और भी सुधार आवश्यक हैं।

मूल शब्द – स्थानीय शासन, महिला भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पितृसत्ता

प्रस्तावना :

73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने भारत में स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पालिका) में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। ये संशोधन 1992 में किए गए थे जिनका उद्देश्य महिलाओं के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू करना था–

1. **महिला आरक्षण (Reservation for Women) :**

   पंचायती राज संस्थाओं (73वां संशोधन) – पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) में कुल सीटों में से कम से कम 33 प्रतिशत (एक–तिहाई) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। सभी स्तरों पर अध्यक्ष (सरपंच, पंचायत समिति अध्यक्ष, और जिला परिषद अध्यक्ष) के पदों में भी एक–तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

   नगर पालिकाओं (74वां संशोधन) – नगर पालिका (नगर परिषद और नगर निगम) में भी महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों का आरक्षण लागू किया गया है। नगर पालिका अध्यक्षों के पदों में भी महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।

2. **चुनाव में आरक्षण (Reservation in Elections) :**

   सीटों और पदों के आरक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर निर्वाचित हों और उनकी भागीदारी सक्रिय हो। यह आरक्षण हर चुनाव के बाद बदलता रहता है ताकि सभी सीटों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके।

3. **राज्य सरकारों के अधिकार (Powers to State Governments) :**

   राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे पंचायत और नगरपालिका के चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था करें और जरूरत के अनुसार महिला आरक्षण का विस्तार कर सकें। कई राज्यों ने इन संशोधनों के बाद 50 प्रतिशत तक महिला आरक्षण लागू किया है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आदि।

4. **सशक्तिकरण का उद्देश्य (Empowerment of Women) :**

   इन संशोधनों का प्रमुख उद्देश्य था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और वे स्थानीय शासन में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकें। इससे महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त होता है।

5. **नियमित चुनाव और स्थायित्व (Regular Elections and Stability) :**

   पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में नियमित चुनाव का प्रावधान भी किया गया है, ताकि महिलाओं को बार–बार चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर मिल सके और उनके नेतृत्व को स्थायित्व मिले। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना और उनकी भूमिका को सशक्त बनाना था।

संवैधानिक संशोधनों के बाद स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी – अवसर

73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने महिलाओं को स्थानीय शासन में भागीदारी के कई अवसर प्रदान किए हैं, जिससे उनका सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। इन अवसरों का विस्तार निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है–

1. राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment) : इन संशोधनों ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (और कई राज्यों में 50 प्रतिशत) सीटों का आरक्षण प्रदान किया है, जिससे महिलाएं पंचायतों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों में सीधे तौर पर चुनाव लड़कर सत्ता में आ सकें। इस आरक्षण से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है, जिससे वे नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का हिस्सा बन रही हैं। महिलाओं को सरपंच, पंचायत अध्यक्ष, और नगर पालिका अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जिससे वे न केवल स्थानीय स्तर पर शासन की बागडोर संभाल रही हैं, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता भी उभर रही है।

2. सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment) : राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को समाज में बेहतर स्थिति हासिल हुई है। पारंपरिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर मानी जाने वाली महिलाएं अब अपने समुदायों में नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी से उनकी सामाजिक पहचान और सम्मान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे अन्य महिलाएं भी प्रेरित होती हैं और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होती हैं।

3. आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) : जब महिलाएं स्थानीय निकायों में चुनकर आती हैं, तो उन्हें विकास परियोजनाओं की देखरेख करने का मौका मिलता है। इससे वे न केवल स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में योगदान दे रही हैं, बल्कि आर्थिक निर्णयों में भी प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। वे वित्तीय योजनाओं, पंचायत निधि के उपयोग, और सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रबंधन में योगदान दे रही हैं, जिससे उनके आर्थिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता में सुधार हो रहा है।

4. स्थानीय मुद्दों पर ध्यान (Focus on Local Issues) : महिलाएं अक्सर जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, और बच्चों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर इन समस्याओं का समाधान हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण और शहरी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण जैसे मामलों पर भी अधिक ध्यान दिया गया है, खासकर महिलाओं और बच्चों के संबंध में।

5. नेतृत्व विकास (Leadership Development) : पंचायतों और नगर पालिकाओं में काम करने से महिलाएं नेतृत्व के गुण विकसित कर रही हैं। इससे वे स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कौशल प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं को इन निकायों में सक्रिय रूप से भाग लेने से, उनका आत्मविश्वास और राजनीतिक समझ बढ़ी है, जिससे वे भविष्य में भी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हो रही हैं।

6. लैंगिक समानता की ओर बढ़ाव (Advancement Toward Gender Equality) : इन संशोधनों ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ–साथ लैंगिक समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। महिलाएं अब शासन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद मिली है।

7. अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा (Inspiration for Other Women) : स्थानीय निकायों में महिलाओं की सफलता ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अन्य महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। इससे महिलाओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है।

विभिन्न राज्यों के आंकड़े–

- राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने 50ः तक आरक्षण प्रदान किया है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में अभी भी 33 प्रतिशत आरक्षण है।
- बिहार पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बना।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायतों और शहरी निकायों में महिला आरक्षण का प्रभाव देखा गया है, जहां महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है और वे नीतिगत फैसलों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं।
- बिहार में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 54 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो देश में सबसे अधिक है।
- महाराष्ट्र में लगभग 37 प्रतिशत से अधिक महिलाएं पंचायतों में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जो राज्य की पंचायत राज प्रणाली में सुधार को दर्शाता है।
- कर्नाटक में 43 प्रतिशत महिलाएं ग्राम पंचायतों में निर्वाचित हो चुकी हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि राज्य में आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिल रहा है।
- राजस्थान और हरियाणा में महिला सरपंचों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में कुल सरपंचों में से लगभग 43 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- ओडिशा में 2017 के पंचायत चुनावों में कुल निर्वाचित सरपंचों में से 55 प्रतिशत महिलाएं थीं, जो महिला नेतृत्व की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- बिहार में, महिला प्रधानों ने सफलतापूर्वक स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों का नेतृत्व किया है। राज्य की कई पंचायतों में महिलाओं द्वारा चलाए गए विकास कार्यक्रमों को सराहा गया है।

- राजस्थान में, कई महिला प्रधानों ने जल संरक्षण, महिला शिक्षा, और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर सक्रियता दिखाई है। उदाहरण के लिए, कई महिला प्रधानों ने अपने गांवों में जल संकट को सुलझाने के लिए स्थानीय योजनाओं को लागू किया है।

संवैधानिक संशोधनों के बाद स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी – अवरोध

हालांकि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने महिलाओं के लिए स्थानीय शासन में कई अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी महिलाओं को इन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने में कई प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है। ये अवरोध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, और राजनीतिक स्तर पर मौजूद हैं, जो महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को सीमित करते हैं। यहां उन प्रमुख अवरोधों का विस्तार से वर्णन किया गया हैरू

1. पितृसत्तात्मक समाज और सामाजिक धारणाएं (Patriarchal Society and Social Norms) : भारत के अधिकांश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता प्रचलित है। इस सोच के कारण महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिकाओं में आने पर समाज से समर्थन प्राप्त नहीं कर पातीं। महिलाओं को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिससे उनके लिए स्थानीय शासन में सक्रिय भूमिका निभाना कठिन हो जाता है। कई स्थानों पर महिलाएं केवल ष्नाममात्र की प्रतिनिधिष रह जाती हैं, जबकि वास्तविक निर्णय उनके पति या पुरुष सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, जिसे ष्सरपंच पतिष की अवधारणा भी कहा जाता है।

2. शिक्षा और जागरूकता की कमी (Lack of Education and Awareness) : कई महिलाएं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षित नहीं होतीं या उनके पास पर्याप्त जागरूकता की कमी होती है। इससे वे स्थानीय शासन की जटिलताओं को समझने और प्रभावी रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पातीं। शिक्षा की कमी के कारण वे कानूनी प्रक्रियाओं, प्रशासनिक कार्यों, और बजट योजना जैसी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में कठिनाई महसूस करती हैं, जिससे उनके अधिकारों और कर्तव्यों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता।

3. आर्थिक निर्भरता (Economic Dependence) : महिलाएं अक्सर आर्थिक रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहती हैं। यह निर्भरता उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने से रोकती है और उन्हें परिवार या समाज के दबाव के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करती है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पातीं और न ही वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था कर पाती हैं।

4. कानूनी और प्रशासनिक ज्ञान की कमी (Lack of Legal and Administrative Knowledge) : स्थानीय निकायों में चुनी गईं महिलाओं को अक्सर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती, जिससे वे निर्णय लेने में असहज महसूस करती हैं। उन्हें कभी–कभी नौकरशाही या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिससे वे प्रभावी तरीके से शासन नहीं कर पातीं। प्रशासनिक प्रक्रियाओं की

समझ की कमी के कारण, महिलाएं भ्रष्टाचार, अनुचित प्रथाओं, और नौकरशाही की बाधाओं का शिकार बन जाती हैं।

5. राजनीतिक और पारिवारिक हस्तक्षेप (Political and Familial Interference) : कई मामलों में, महिलाओं की सत्ता में हिस्सेदारी केवल सांकेतिक होती है। परिवार के पुरुष सदस्य, विशेष रूप से उनके पति या ससुर, उनकी जगह पर निर्णय लेते हैं और शासन करते हैं। इससे महिलाएं केवल "पिछले दरवाजे" से सत्ता में होती हैं और उनके पास असली शक्ति नहीं होती। राजनीतिक दलों के अंदर भी महिलाएं पुरुषों के अधीन कार्य करती हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो जाती है।

6. संरचनात्मक बाधाएं (Structural Barriers) : पंचायतों और स्थानीय निकायों की संरचना ऐसी है कि कई बार महिलाओं को निर्णय लेने और नीतियां बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। उनके पास पर्याप्त संसाधन या प्रशिक्षण नहीं होता जिससे वे प्रभावी शासन कर सकें। कई स्थानों पर पंचायत और नगरपालिका की बैठकों में महिलाओं की आवाज को नजरअंदाज किया जाता है, या उन्हें खुलकर बोलने का अवसर नहीं मिलता।

7. सांस्कृतिक प्रतिबंध और पूर्वाग्रह (Cultural Restrictions and Biases) : कई समुदायों में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य माना जाता है। इससे महिलाएं सार्वजनिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असहज महसूस करती हैं। कुछ मामलों में, महिलाओं को घर से बाहर जाने या पुरुषों के साथ बैठकों में शामिल होने पर सामाजिक आलोचना या दबाव का सामना करना पड़ता है।

8. समानता के बजाय स्टीरियोटाइप्स (Stereotyping Instead of Equality) : कई बार महिलाओं को स्थानीय शासन में विशेष अधिकार या संसाधन नहीं दिए जाते क्योंकि उन्हें कमजोर या अक्षम समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से महिलाएं निर्णय लेने में अनिच्छुक हो जाती हैं या अपने नेतृत्व कौशल का सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पातीं। उन्हें केवल ष्आरक्षितष प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है और उनके नेतृत्व कौशल को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

9. भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव (Corruption and Political Pressure) : कई महिलाएं भ्रष्टाचार या राजनीतिक दबाव का सामना करती हैं, जिससे उनके लिए निष्पक्ष और प्रभावी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। उन्हें कई बार अपने निर्णयों को राजनीतिक ताकतों के अनुसार मोड़ना पड़ता है।

10. समाज में जागरूकता की कमी (Lack of Awareness in Society) : कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आरक्षण के अधिकार के बारे में ही जागरूक नहीं होतीं, जिससे वे चुनाव में भाग नहीं ले पातीं या अपने अधिकारों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पातीं। समाज में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूकता का अभाव भी एक बड़ा अवरोध है, क्योंकि इस कारण महिलाओं को राजनीतिक समर्थन या सहयोग नहीं मिलता।

विभिन्न राज्यों के आंकड़े–

- उत्तर प्रदेश में एक अध्ययन से पता चला है कि 45 प्रतिशत से अधिक महिला सरपंच अपने पतियों या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा ष्प्रॉक्सीष के रूप में काम कर रही हैं, जिससे महिलाओं का असली नेतृत्व कमजोर हो जाता है।
- हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिलाओं में से लगभग 40 प्रतिशत को पितृसत्तात्मक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में असमर्थ हो गईं।
- राजस्थान में एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 35 प्रतिशत महिला प्रधानों को गांव के बुजुर्गों या पुरुष समूहों द्वारा गंभीर विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा, जो उनके काम में बाधा बनते हैं।
- कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में महिलाओं को पंचायतों और स्थानीय निकायों के कामकाज के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे उनके सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। कर्नाटक में इस प्रशिक्षण के बाद महिला प्रतिनिधियों की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है।
- केरल में ष्कुडुम्बश्रीष योजना के माध्यम से महिला पंचायत सदस्य स्थानीय शासन में आर्थिक और सामाजिक विकास में नेतृत्व कर रही हैं, जिससे वहां महिलाओं की सशक्तिकरण में तेजी आई है।
- उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, महिला प्रधानों को वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 60 प्रतिशत से अधिक महिला प्रधानों को योजनाओं के लिए धन का उपयोग करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें वित्तीय ज्ञान की कमी होती है या परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- मध्य प्रदेश में, कई महिला पंचायत सदस्य जल और कृषि से संबंधित स्थानीय मुद्दों को हल करने में सफल रही हैं, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दबावों के कारण स्वतंत्र रूप से काम करने में समस्याएं भी हुई हैं।
- झारखंड और ओडिशा में महिलाओं ने चुनाव जीतने के बाद भी कई सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना किया, खासकर उनकी योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाए गए।

निष्कर्ष :

उक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थानीय शासन में भागीदारी ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुँचने का अवसर दिया है। इससे न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि समाज और शासन के ढांचे में भी सुधार हुआ है। यद्यपी संवैधानिक संशोधनों के बाद महिलाओं के लिए स्थानीय शासन में भागीदारी के बड़े अवसर खुले हैं, लेकिन ये अवसर उन अवरोधों के कारण सीमित हो जाते हैं, जो पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा की कमी, और राजनीतिक हस्तक्षेप से पैदा होते हैं। इन अवरोधों को दूर करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके लिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने, और समाज में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :

1. भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय (2019) — भारत में पंचायती राज की प्रगति रिपोर्ट। नई दिल्लीरू भारत सरकार। https://www-panchayat-gov-in
2. अखिल भारतीय महिला पंचायत प्रतिनिधि सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021) — महिलाओं की पंचायतों में भूमिका और चुनौतियां। नई दिल्ली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
3. सिंह, एम. के., चौधरी, आर. एल. (2018) — महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज में उनकी भागीदारी — एक अध्ययन। ग्रामीण विकास पत्रिका, 5(2), 34—48।
4. कुमार, एस. पी. (2017) — बिहार में पंचायतों में महिला नेतृत्व का सशक्तिकरण और समस्याएं। ग्रामीण समाजशास्त्र की समीक्षा, 12(3), 67—85।
5. भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय (2018) — शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति रिपोर्ट। नई दिल्लीरू, शहरी विकास मंत्रालय।
6. हरियाणा पंचायत विभाग (2019) — हरियाणा में महिला प्रधानों की चुनौतियों और सफलता की कहानियां। चंडीगढ़, हरियाणा सरकार।
7. मध्य प्रदेश राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (2021) —महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में बढ़ती भागीदारी — एक विश्लेषण। भोपालरू मध्य प्रदेश सरकार।
8. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (2020) — महिला पंचायती नेताओं का अध्ययन — एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, नई दिल्लीरू सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च।
9. जागोरी (2020) — भारत में महिला पंचायत नेताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण। नई दिल्ली, जागोरी एनजीओ।

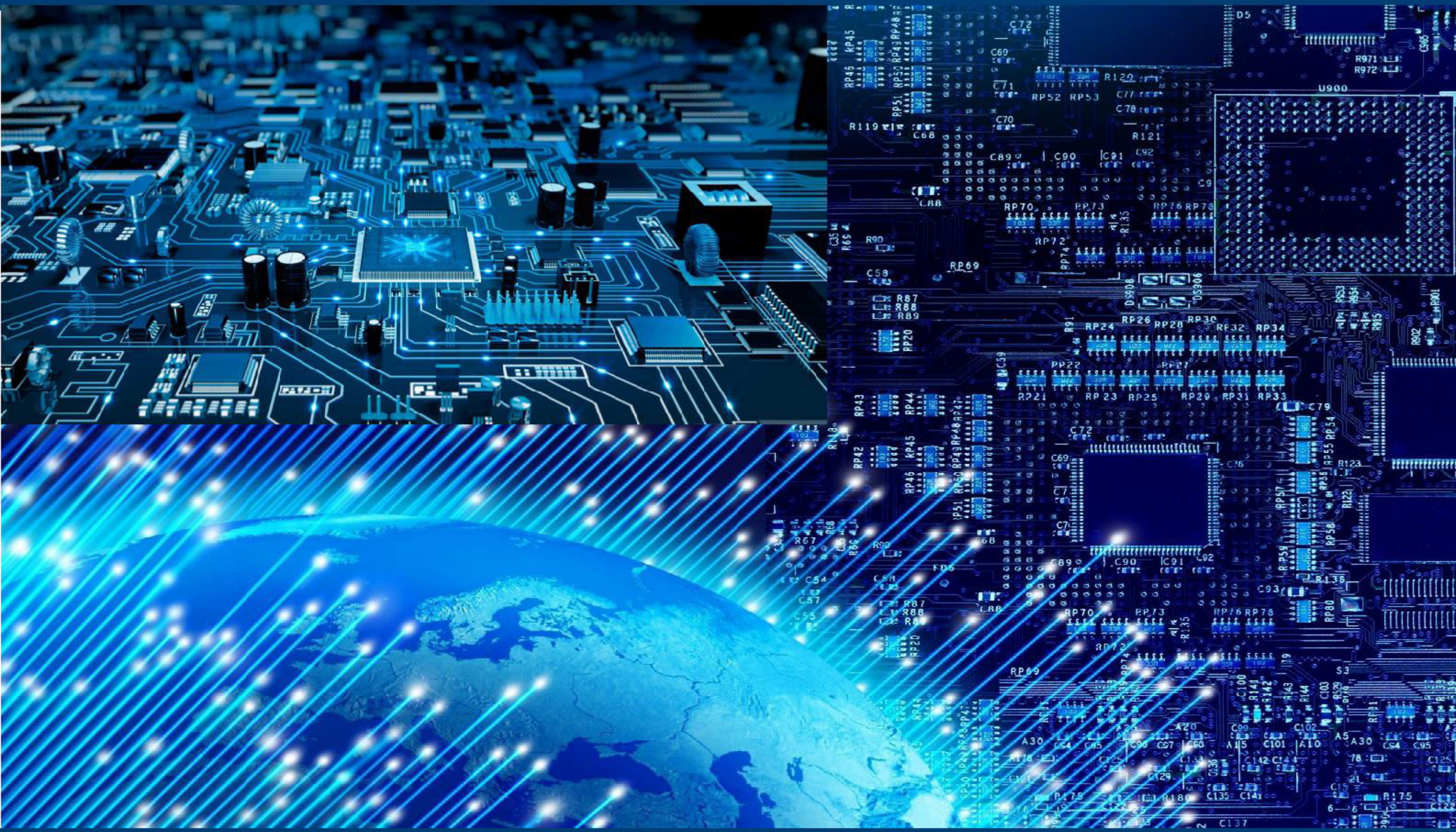

IJARASEM

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

निस्केयर
NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |